



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आई०डी नं०: U40101UR2004GOI028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2646000 फैक्स नं० 0135-2643460, वेबसाइट: www.ptcul.org

सार्वजनिक सूचना

पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप), वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०) तथा बहु-वर्षीय टैरिफ वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं

बहु-वर्षीय टैरिफ याचिका की मुख्य विशेषताएं:-

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल), उत्तराखण्ड राज्य की पारेषण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं बहु-वर्षीय टैरिफ वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। अंतरा-राज्य पारेषण तंत्र के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

(आंकड़े करोड़ ₹० में)

क्रम स.	मद	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
		टैरिफ आदेश दिनांक 18.04.2020 में अनुमोदित	राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) के लिए माँग	टैरिफ आदेश दिनांक 18.04.2021 में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
1.	परिचालन एवं अनुरक्षण खर्च	162.80	166.31	170.58	191.67	214.82	234.88	249.88
2.	ऋण पर ब्याज	55.07	51.41	44.88	50.45	54.40	63.12	74.42
3.	अंशपूजी पर लाभांश	38.65	55.26	42.14	59.48	66.67	78.40	90.40
4.	आयकर	-	10.68	-	-	-	-	-
5.	अवक्षयण	85.11	91.23	83.11	99.20	109.51	123.57	139.73
6.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	10.59	10.37	10.29	12.19	13.28	14.00	15.26
	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का योग	352.22	385.26	351.00	412.98	458.68	513.97	569.70
7.	जोडा: पिछले वर्ष का राजस्व सत्यापन (ट्रू-अप) कालजन्म लागत के साथ	-88.58	-88.58	-49.46	-49.46	35.04	-	-
	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का योग	263.64	296.68	301.54	363.52	493.72	513.97	569.70
8.	घटाया : नॉन टैरिफ आय	10.00	14.40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
9.	घटाया : अल्प अवधि उन्मुक्त अभिगन से आय	4.07	2.44	3.43	2.44	2.44	2.44	2.44
10.	घटाया : उच्च उपलब्धता के कारण प्रोत्साहन को साझा करना	-	0.82	-	-	-	-	-
	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एस०एल०डी०सी० सहित)	249.57	279.02	288.11	351.08	481.28	501.53	557.26
11.	घटाया: एस०एल०डी०सी० शुल्क	13.83	-	14.46	17.27	23.16	30.31	35.00
	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एस०एल०डी०सी० को छोड़कर)	235.74	279.02	273.65	333.81	458.12	471.23	522.25
12.	प्रारम्भिक अंशपूजी पर लाभांश के लिए प्रावधान	-	-	-	-	214.98	-	-
13.	पीडीएफ के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंशपूजी योगदान पर लाभांश के लिए प्रावधान	-	-	-	-	407.63	-	-
14.	राजस्व (अधिशेष)/अन्तर सहित रख-रखाव लागत	-	35.04	-	-	-	-	-

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए (जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक राजस्व सत्यापन (ट्रूअंग-अप) के प्रभाव के साथ-साथ रख-रखाव लागत सहित) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये अनुमोदित पारेषण शुल्क पर 67.4% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, पिटकुल ने प्रारम्भिक अंशपूजी पर लाभांश तथा पीडीएफ के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंशपूजी योगदान पर लाभांश के कारण ₹० 622.61 करोड़ का दावा किया है तथा इस दावे पर विचार करते हुए, कुल वृद्धि 294.9% है। यदि, पिटकुल के प्रारम्भिक अंशपूजी पर लाभांश तथा पीडीएफ के माध्यम से अंशपूजी योगदान पर लाभांश सहित सम्पूर्ण दावे को भी नियामक आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यू०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के ऊपर उपभोक्ता टैरिफ में 10.81% (चूँकि यू०पी०सी०एल० ने पिटकुल और एस०एल०डी०सी० के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अलग से वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का अनुमान नहीं

किया हैं, टैरिफ वृद्धि में एसएलडीसी का प्रभाव शामिल हैं।) की अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। हालांकि, अगर पिटकुल के दावे को प्रावधानों के बिना माना जाता है, तो यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के ऊपर उपभोक्ता टैरिफ में 2.43% (चूंकि यू0पी0सी0एल0 ने पिटकुल और एस0एल0डी0सी0 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अलग से वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए0आर0आर0) का अनुमान नहीं लगाया हैं, टैरिफ वृद्धि में एस0एल0डी0सी0 का प्रभाव शामिल हैं।) की अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी।

3. पूरी याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, "विद्युत भवन", सहारनपुर रोड, माजरा, आई0एस0बी0टी0 के निकट, देहरादून-248002, उत्तराखण्ड पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.ptcul.org) पर भी उपलब्ध है।
5. उपरोक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, आई0एस0बी0टी0 के पास, पो0ओ0-माजरा, देहरादून-248171 अथवा ई-मेल द्वारा secy.uerc@gov.in पर आपत्तियाँ अथवा टिप्पणियाँ एवं उनके समर्थन में दस्तावेजों और प्रमाण के साथ दिनांक 31.01.2022 तक प्राप्त किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

"राष्ट्र हित में बिजली बजायें"